

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2013/87

दिनांक 18.10.13

—: आदेश :-

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से वर्ष 2011 मे चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अकिंत तिथि को एक वर्ष का परीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की रनिंग पे बेण्ड 15600-39100 में ग्रेड पे 5400/- स्वीकृत की जाती है :-

क्र.स.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि. अ. के पद पर परीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि
1	डॉ. कृतेश मेहता	26.07.84	18.05.11	17.05.12
2	डॉ. आलोक गहलोत	04.04.85	18.03.11	17.03.12
3	डॉ. प्रज्ञा गौतम	17.01.82	31.03.11	30.03.12
4	डॉ. बीरबल खिलेरी	03.07.82	16.05.11	15.05.12
5	डॉ. दिलीप सिंह राणा	10.05.83	22.03.11	21.03.12
6	डॉ. सतीश कुमार	25.08.84	15.03.11	14.03.12
7	डॉ. मनोज कुमार बुढानिया	25.08.82	16.03.11	15.03.12
8	डॉ. शिवराज विश्‍नोई	12.10.80	16.03.11	15.03.12
9	डॉ. मोहन लाल निठरवाल	11.10.82	23.03.11	22.03.12
10	डॉ. राकेश कुमार	05.07.82	12.09.11	11.09.12
11	डॉ. राजीव सिंह	04.11.83	26.03.11	25.03.12
12	डॉ. धनन्जय मीणा	19.07.80	15.03.11	14.03.12
13	डॉ. प्रशान्त दाधीच	18.05.81	08.06.11	07.06.12
14	डॉ. जयकिशन सुथार	07.03.85	13.06.11	12.06.12
15	डॉ. दिनेश कुमार प्रजापत	29.07.83	23.05.11	22.05.12
16	डॉ. भाल सिंह	21.01.85	30.03.11	29.03.12
17	डॉ. सविता आर्य	22.09.72	29.08.11	28.08.12
18	डॉ. मधु वर्मा	01.06.81	07.04.11	06.04.12
19	डॉ. राजेन्द्र सिंह गुर्जर	01.08.83	28.03.11	27.03.12

20	डॉ. अवधेश बैरवा	08.08.84	12.04.11	11.04.12
21	डॉ. दीपक गुप्ता	03.08.80	25.03.11	24.03.12
22	डॉ. भूपेश जैन	30.08.82	24.06.11	23.06.12
23	डॉ. महेन्द्र निमेल	21.07.82	30.06.11	29.06.12
24	डॉ. सपना कुमारी यादव	04.07.85	16.05.11	15.05.12
25	डॉ. संजय सतरावल	22.12.74	11.04.11	10.04.12
26	डॉ. सुरेश कुमार यादव	25.11.82	03.10.11	02.10.12
27	डॉ. लक्ष्य सिंह पडिहार	10.07.78	08.04.11	07.04.12

४०
निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2013/ 817

दिनांक 18.10.13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर